5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन रेस्टोरे 2512-PBR-15

पी.के. तिवारी
4-8-15

भगतसिंह आत्मज श्री हरचंद जी जाट निवासी--ग्राम रिजगांव तह. हंडिया, जिला हरदा (म.प्र.)

बनाम

1. श्रीमती मथूराबाई बेवा मथूरा प्रसाद
2. चन्द्रकांत आत्मज मथूरा प्रसाद दोनो निवासी– गढ़ीपुरा हरदा, तहसील एवं जिला हरदा (म.प्र.)

Given 4-8-15

रेस्टोरेशन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 9 के अंतर्गत ....नियम 32 म.प्र. भू–~~राजस्व संहिता~~

राजस्व संहिता

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है–

1. यहकि, प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 03.07.2009 द्वारा पारित कलेक्टर जिला हरदा के प्र.क्रं. 15/2006–07 से दुखी होकर प्रस्तुत किया गया था।
2. यहकि, प्रकरण के विचारण के दौरान आवेदक अभिभाषक को पेशी दिनांक 13.05.2015 को नोट कराई गई थी।
3. यहकि, दिनांक 13.05.15 को माननीय पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे साथ हीं अभिभाषक श्री आजाद मिश्रा जी उक्त दिनांक को अन्य न्यायालय में व्यस्त थे। इसलिये वे प्रकरण को नोट नहीं कर पायें तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2015 से आगामी पेशी 14.05. 2015 नियत की गई जिसकी जानकारी आवेदक अभिभाषक को नहीं हुई

2-9-2015

आवेदक की ओर से श्री पी. के. तिवारी, अभिभाषक उपस्थित। उन्हें आवेदन पत्र पर सुना गया। रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 455/PBR/11 पुनः नम्बर पर लिया जावे। इस प्रकरण में और कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष

ग्वालियर मुद्रणालय—320—फॉर्म—21-9-12—5,000 प्रपत्र.